मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–109/2017 रे.वाद
अन्तर्गत धारा :–53 , 188 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. शंकर आत्मज बेणा बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. खेमा आत्मज बेणा बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. कमला बेवा मोहन बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. कानाआत्मज मोहन बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. मांगुआत्मज मोहन बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. रामचन्द्रआत्मज मोहन बलाई, नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता कमला बेवा मोहन बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

––वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायणआत्मज रामा बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. धापु बेवाआत्मज रामा बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. शंकरआत्मज मोहन बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. गोमी बेवा मोहन बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. मगनाआत्मज उम्मेदा बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. प्रभुआत्मज नारू बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. रामेश्वरलालआत्मज प्रभु बलाई, निवासी सातलियास, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार बलाई, पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1.

Scanned by CamScanner

अंकित आराजी संख्या 1080 रकबा 0.02 हे0 गे0मु0चाह, 1452 रकबा 0.30 हे0, 1460 रकबा 0.06 हे0 गे0मु0चाह, 1461 रकबा 0.62 हे0, 1463 रकबा 0.71 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.71भूमि स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से भूमि को उपजाऊ बनाने ऋण लेने में अडचन आती है । वर्णित आराजी में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा निहित हैं तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या तीन व चार का 1/5 हिस्सा प्रविादी संख्या पांच का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या छः व सात का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा निहित है। जिसका विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम कराया जाए एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वाद ग्रस्त आराजियात का जब तक विधिवत रूप से विभाजन होकर राजस्व खाते अलग–अलग कायम नहीं हो जावे प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न अन्य से करावे तथा वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित नहीं करें।

प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस दिये गये जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई तथा । वादीगण के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करके सीधी बहस करनी चाही बहस सुनी गई अधिवक्तावादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करके सीधी बहस करनी चाही उभयपक्ष बहस सुनी गई अधिवक्तावादीया ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। अतः प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिक डिकी किया गया आदेश तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर बहस हेतु वादीया अधिवक्ता उपस्थित। वादीया अधिवक्ता को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं कि लिहाज़ा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिकी जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है।

–: आदेश :–

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिकी किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. कमला बेवा मोहन काना मांगू बा.जानकीलाल ना.बा.पि. मोहन ब.वि.माता कमला शंकर खेमा पि. बेणा बलाई सा0 देह खातेदार रहन बी0आर0के0जी0 बी0 शाखा खांखला हि0 कमला मांगू

आ0नं0	रकबा
1463/2	0.3260
कुल किता 1	कुल 0.3260 हे0

Scanned by CamScanner

2. सत्यनारायण पि0 रामा धापू बेवा रामा बलाई सा0देह खातेदार रहनः–
जी0एस0एस0एस0लि0 सातलियास हि0 सत्यनारायण पर

आ0नं0	रकबा
1463/3	0.3260 हे0
कुल किता 1	कुल 0.3260 हे0

3. शंकर पि0 मोहन गोमी बेवा मोहन बलाई सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1461/2	0.3260 हे0
कुल किता 1	कुल 0.3260 हे0

4. मगना पि0 उम्मेदा बलाई सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1461/3	0.2680 हे0
1463/1	0.0580 हे0
कुल किता 2	कुल 0.3260 हे0

5. प्रभू पि0 नारू रामेश्वरलाल पि0 प्रभू बलाई सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1452	0.30 हे0
1461/1	0.0260
कुल किता 2	कुल 0.3260 हे0

6. शामलात पूर्ववत् बदस्तूर

आ0नं0	रकबा
1080	0.02 हे0
1460	0.06
कुल किता 2	कुल 0.08 हे0

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकने अपना–अपना वहन करे। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश आज दिनांक 15.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

Scanned by CamScanner

1. कमला बेवा मोहन काना मांगू बा.जानकीलाल ना.बा.पि. मोहन ब.वि.माता कमला शंकर खेमा पि. बेणा बलाई सा0 देह खातेदार रहन बी0आर0के0जी0 बी0 शाखा खांखला हि0 कमला मांगू

आ0नं0	रकबा
1463/2	0.3260
कुल किता 1	कुल 0.3260 हे0

2. सत्यनारायण पि0 रामा धापू बेवा रामा बलाई सा0देह खातेदार रहनः– जी0एस0एस0एस0लि0 सातलियास हि0 सत्यनारायण पर

आ0नं0	रकबा
1463/3	0.3260 हे0
कुल किता 1	कुल 0.3260 हे0

3. शंकर पि0 मोहन गोमी बेवा मोहन बलाई सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1461/2	0.3260 हे0
कुल किता 1	कुल 0.3260 हे0

4. मगना पि0 उम्मेदा बलाई सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1461/3	0.2680 हे0
1463/1	0.0580 हे0
कुल किता 2	कुल 0.3260 हे0

5. प्रभू पि0 नारू रामेश्वरलाल पि0 प्रभू बलाई सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1452	0.30 हे0
1461/1	0.0260
कुल किता 2	कुल 0.3260 हे0

6. शामलात पूर्ववत् बदस्तूर

आ0नं0	रकबा
1080	0.02 हे0
1460	0.06
कुल किता 2	कुल 0.08 हे0

अतः उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.11.15 16:54:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: